2023/118

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री विकास कुमार
निवासी 34, हीरागर वास
तरतोली तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूरोड

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 27 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.06.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को दिनांक 11.04.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि बनास नदी के अन्दर बन रहे निर्माण, जो कि राजवाडा पूल से माउन्ट आबू जाते समय लैफ्ट साईड में दिखता है और आबूरोड की ओर जाते समय राईट साईड में दिखता है, उक्त निर्माण जो नदी के बीचों बीच में हो रहा है उसका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिया गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को दिनांक 11.04.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि बनास नदी के अन्दर बन रहे निर्माण, जो कि राजवाडा पूल से माउन्ट आबू जाते समय लैफ्ट साईड में दिखता है और आबूरोड की ओर जाते समय राईट साईड में दिखता है, उक्त निर्माण जो नदी के बीचों बीच में हो रहा है उसका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिया गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। आदेश खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:35:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner